78

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनु.कोचिंग/सान्याअवि/21/पार्ट-2/2037 जयपुर, दिनांक : 20-1-22

आदेश

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में वित्त विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार जिलेवार, वर्गवार, परीक्षावार लक्ष्य निर्धारित कर मैरिट सूची जारी की गई है।

कोचिंग संस्थानों एवं विद्यार्थियों को निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :-

1. चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बधित कोचिंग संस्थानों को उनकी ssoid पर प्रदर्शित की गई है जहाँ अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख प्रदर्शित एडमिट बटन पर क्लिक कर अभ्यर्थियों को ज्वाईनिंग कराया जाना है जिसकी ज्वाईनिंग रिपोर्ट निदेशालय को स्वतः प्राप्त हो जायेगी।
2. कोचिंग संस्थानों द्वारा सम्बधित विद्यार्थियों से सम्पर्क कर उनकों बुलाया जाकर ऑनलाईन पोर्टल पर उसके नाम के सम्मुख अंकित एडमिट का बटन दबाकर अभ्यर्थियों के आधारबेस सत्यापन के पश्चात् ज्वाईनिंग प्रदर्शित हो जावेगी।
3. कोचिंग संस्थान में प्रवेशित अभ्यार्थियों की ज्वाईनिंग रिपोर्ट के आधार पर परीक्षावार निर्धारित फीस राशि का भुगतान कोचिंग संस्थान को किया जावेगा।
4. कोचिंग संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों से अलग से फीस राशि नही ली जावे।
5. यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा, इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा एवं क्लैट परीक्षाओं की कोचिंग करने हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में प्रवेशित होने वाले अन्य शहर से आकर रहने वाले अभ्यर्थियों से छात्रावास की फीस की

Scanned with CamScanner

रसीद/किराये के मकान में रहने का प्रमाण पत्र कोचिंग संस्थान के माध्यम से अपलोड किया जाना है जिसकी ऑनलाईन सूचना के आधर पर भत्ते की राशि विद्यार्थियों को जारी की जावेगी।

6. जिस अभ्यर्थी का कोचिंग हेतु चयन हुआ उन अभ्यर्थियों को उनकी ssoid पर शोर्ट लिस्ट प्रदर्शित किया गया है।
7. जिस अभ्यर्थी का मुख्यमंत्री कोचिंग योजनान्तर्गत चयन हुआ है वे अभ्यर्थी सम्बधित कोचिंग संस्थान में तत्काल अपनी उपस्थित दर्ज कराकर कोचिंग प्रारम्भ करेंगें।
8. अभ्यर्थी द्वारा छात्रावास/किराये के मकान में रहने पर उसकी राशि का भुगतान सम्बधित अभ्यर्थी को ही ऑनलाईन बैंक खातें में भुगतान किया जावेंगा।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनु.कोचिंग/सान्याअवि/21/पार्ट-2/2038-78 जयपुर, दिनांक : 20-1-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
2. निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग. ....।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. सम्बधित कोचिंग संस्थान ....।
9. सम्बधित अभ्यर्थी ....।
10. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

Scanned with CamScanner